न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 762/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 गुमानसिंह 2.जुंझारसिंह 3. दातारसिंह 4.सुमेरसिंह 5. सुरेन्द्रसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 6.बाजु कंवर पत्नी उम्मेदसिंह 7.नारायणसिंह 8. भोपालसिंह पिसरान करणसिंह 9.सुआ कंवर पत्नी करणसिंह जातियान राजपूत निवासीयान बाड़मेंर आगोर तहसील व जिला बाड़मेंर।		तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1. श्री कपिलदान चारण अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 13.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बीदासर पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2497/629 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2499/629 रकबा 1.3436 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 2499/629 की भूमि में खसरा संख्या 2498/629 हैक्टेयर को कटान रास्ता स्वीकृत किया जाकर तरमीम की गई हैं। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मो कोई कटान रास्ता स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संखय 2497/629 व 2499/629 के मध्य में पूर्व से ही कटान मार्ग चलता है जिसे संलग्न परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल से दर्शाया गया हैं। तथा रेकर्ड में इसी अनुसार तरमीम की गई थी। लेकिन वर्तमान में तहसील कार्यालय के रेकर्ड के ऑनलाईन करते वक्त बिना किसी सक्षम आदेश के तथा बिना प्रार्थी को जानकारी में लाए लटठा ट्रेस में पूर्व की तरमीम से हट कर नये सिरे से कटान रास्ता की गलत तरमीम परिशिष्ट "अ" बरंग हरा के अनुसार कर दी गई है जो कि गलत हैं। उक्त समस्त खसरान की नक्शा लट्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम मौके के अनुसार नहीं होकर अशुद्ध तरमीम होने से खातेदारों के मध्य विवाद होने क कारण यह आवेदन तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया गया है। अत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बीदासर पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2497/629 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2499/629 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि के मध्य से चल रहें कटान रास्त की परिशिष्ट "अ" नक्शा में बरंग हरा के स्थान पर बरंग ला[illegible]सार तरमीम दुरस्त करवाने का आदेश करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, पैरोकार सरकार उपस्थित। उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1801 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा मौका रिपोर्टि उपलब्ध करवाई। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बीदासर के नामान्तरणकरण संख्या 75 दिनांक 25.10.2005 के द्वारा खसरा संख्या 629 रकबा 29. बीघा किस्म बा.दो. से रकबा 0.13 बीघा, नवीन खसरा संख्या 2498/629 राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

सरकार के नाम दर्ज हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 75 की पुस्त के पीछे तरमीम संलग्न प्रति के अनुसार हुई। उसी अनुरूप लटठे व ऑनलाईन भू–नक्शा की तरमीम की हुई है। मौके पर तरमीम से हटकर डामर सड़क का निर्माण किया हुआ हैं जिसको संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। कटाण रास्ते से सड़क का अन्यत्र बन जाने से खसरा संख्या 2497/629 रकबा 3.3346 हैक्टेयर व 2499/629 रकबा 1.3436 हैक्टेयर प्रभावित हुए है। जिससे उक्त खसरों का रकबा क्रमशः 2.8389 व 1.8393 हैक्टेयर रह जाता हैं। उक्त दोनों खसरों के खातेदार एक ही हैं। मौके पर कब्जा काश्त व खातेदारों की सहमति से परिशिष्ट "अ" तैयार किया गया हैं उसी के अनरूप तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसील बाड़मेंर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट में संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार मौजा बीदासर पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2497/629 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2499/629 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि की तरमीम दुरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 व नामान्तरकरण संख्या 75 का अवलोकन किया गया तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित वर्तमान में तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार तरमीम को दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मौजा बीदासर पटवार हल्का बाड़मेंर मगरा तहसील बाड़मेंर ग्रामीण व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 2497/629 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2499/629 रकबा 1.3436 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के उनसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:39:39 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर